फर्द अहकाम

मनोज केवट बनाम हरिसिंह
ACM बस्सी

T-2 - 77/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30/5/25 ~~दिनांक~~ को पेश हो। (हस्ताक्षर) 24/5/25	
30/5/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रा-पत्र T-2 पर बहस पूर्व में सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थीया का प्रा-पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तरिम आदेश दि- 27/8/20 को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 30/5/25 सहायक कलक्टर बस्सी जिला-जयपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र :– 77/2020
जीसीएमएस नम्बर :–2020/00150

मनोज कंवर पुत्री हरिसिंह पत्नि दशरथसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम अभयपुरा, पोस्ट पालावाला जाटान, तहसील बस्सी हाल निवासी ग्राम राजपूतो की ढाणी, सांभरिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

---प्रार्थीया

-: बनाम :-

1. हरिसिंह पुत्र देवीसिंह
2. भगवान सिंह पुत्र देवीसिंह
3. भंवरसिंह पुत्र देवीसिंह
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम अभयपुरा, पोस्ट पालावाला जाटान्, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
4. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पालावाला जाटान, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
6. उप पंजीयक, बस्सी, जिला जयपुर।

-----अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 30.05.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.08.2020 को एक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत किया जो दिनांक 27.08.2020 को प्रार्थना पत्र संख्या 77/2020 बउनवानी मनोज कंवर बनाम हरिसिंह वगैरह दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्रमें इस आशय का कथन किया कि प्रार्थीया द्वारा श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र व पृथक से एक वाद पत्र सुदृढ तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीया को सफलता मिलने की पूर्ण उम्मीद है।

राजस्व ग्राम अभयपुरा, पटवार हल्का पालावाला जाटान, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र सांभरिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 111, 112 व 113 कुल किता 3 कुल रकबा 6.4110 हैक्टेयर स्थित है जिसकी वर्तमान में खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 हिस्सा 1/4–1/4 दर्ज होकर चली आ रही है। प्रार्थीया की दादी श्रीमती गोपाल कंवर पत्नि देवीसिंह का स्वर्गवास करीब 3 वर्ष पूर्व मई 2017 में हो चुका है। जिनका उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति में हिस्सा 1/4 है और जिसका नामान्तरकरण विधिक वारिसान के हक में होना शेष होकर प्रक्रियाधीन है। प्रार्थीया की दादी गोपाल

30/5/25

कंवर के नाम उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति में हिस्सा 1/4 दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थीया की दादी गोपाल कंवर के हिस्से में प्रार्थीया के पिता हरिसिंह अप्रार्थी संख्या 1 के अलावा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के साथ प्रार्थीया की बुआ मोहन कंवर व सन्तोष कंवर का हिस्सा सहदायिकी के अनुसार हिस्सा 1/5-1/5 है।

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में स्व0 देवीसिंह का सजरा खानदान दर्ज करते हुए कथन किया कि प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 की जायन्दा पुत्री है तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 111, 112 व 113 कुल किता 3 कुल रकबा 6.4110 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के पितामह स्व0 देवीसिंह की खातेदारी से होकर पुश्तैनी चली आ रही है। जिसमें प्रार्थीया का व प्रार्थीया के पिता हरिसिंह का 1/4 हिस्सा प्रार्थीया की दादी गोपाल कंवर के हिस्से 1/4 में से हिस्सा 1/5 इस प्रकार प्रार्थीया के पिता का हिस्सा 9/20 होकर प्रार्थीया का हिस्सा दर हिस्सा 1/4 है जो कानूनन पैतृक सम्पत्ति है और सहदायिकी के अनुसार वारिसान को प्राप्त होती चली आ रही है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रार्थीया अपने पितामह की पैतृक सम्पत्ति होने के कारण सहदायिकी अनुसार हिस्सेदार जन्म से चली आ रही है।

वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया के पितामह देवीसिंह का सम्पूर्ण हिस्सा रहा है तथा प्रार्थीया के पितामह देवीसिंह फौत हो चुके है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में से प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 हरिसिंह वादग्रस्त आराजी के विशेष भू-भाग को बेचने के लिए आमादा है तथा उक्त आराजी को औने पौने दामो में विक्रय कर सम्पत्ति को खुर्दबुर्द करने पर आमादा है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रार्थीया के जन्म से ही स्वतः ही अपने पितामह की सम्पत्ति में हक निहित हो चुका है इसलिये प्रार्थीया का स्व0 देवीसिंह की भूमि में प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णितानुसार हिस्सा कानूनन है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम दर्ज विवादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि को बेचान करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है एवं प्रार्थीया अप्राथी संख्या 1 की जायन्दा पुत्री सन्तान है।

अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीया का पिता है और प्रार्थीया से द्वैष रखकर नाराज रहता है और नाराजगी के चलते हुए ही प्रार्थीया को उसके हिस्से से महरूम रखने के उद्धेश्य से विक्रय कर उक्त आराजी को खुर्दबुर्द करना चाहता है। प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 मन्दबुद्धि है जो किसी अन्य लोगो के बहकावे में है तथा अपने नाम से दर्ज पुश्तैनी विवादग्रस्त भूमि को सस्ते दामो में ही बेचान करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थी संख्या 1 को कोई हक व अधिकार नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अप्रार्थी संख्या 1 को बहका कर मंद बुद्धि को अपने स्वार्थ अनुसार साज कर आपस में मिले हुए है एवं प्रार्थीया के हिस्से की भूमि को हड़पने/विक्रय करने का आशय रखते है जिसका उनको कोई हक व अधिकार नहीं है जबकि प्रार्थीया अधिकारिणी है कि वादग्रस्त भूमि जो स्व0 देवीसिंह जो प्रार्थीया के पितामह है, उनके हिस्से की भूमि में प्रार्थीया का हिस्सा जन्म से चला आ रहा है, उस हिस्से की भूमि का प्रार्थीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में भी इन्दाज करवाने की कानूनन अधिकारी है।

30/5/25

अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का दीगर व्यक्तियो को जरिये इकरारनामा, विक्रय पत्र या अन्य हस्तान्तरणीय विलेख द्वारा बेचान कर कब्जा भूमि का सौंपने पर उतारू है व इस आशय की पूर्ति हेत दिनांक 01.08.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 भूमाफियों व्यक्तियो को लेकर विवादित आराजी के उपर आये और इन्होने प्रार्थीया को धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि सम्पूर्ण का हस्तान्तरणीय विलेख तैयार कर भूमि का कब्जा किसी अन्य को सौंपेगे तथा प्रार्थीया को काश्त नहीं करने देगे व उपयोग उपभोग आदि नहीं करने देगे जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि प्रार्थीया अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का हिस्सा जो पुश्तैनी चला आ रहा है, को उपयोग उपभोग में लेकर काश्त करने में अप्रार्थीगण किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं वादग्रस्त भूमि का बेचान किसी अन्य को कर कब्जा भूमि का किसी अन्य को नहीं सौंपे। यदि अप्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित अपने मन्सुबो में कामयाब हो जावेगे तो प्रार्थीया को अपने हिस्से की भूमि से महरूम होकर अपूर्णीय क्षति होकर कानूनी अधिकारो का उल्लंघन होगा।

प्रार्थीया का प्रथम दृष्ट्या मामला पैतृक/विरासती भूमि होने से बखुबी साबित है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। अगर प्रार्थीया को उसका हिस्सा नहीं मिलता है तो अप्रार्थीगण प्रार्थीया के हिस्से की जमीन को खुर्दबुद्र कर देगे, जिससे निकट भविष्य में प्रार्थीया को होने वाली क्षति की भरपाई किया जाना असम्भव है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर वादग्रस्त भूमि ग्राम अभयपुरा, पटवार हल्का पालावाला जाटान, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र सांभरिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित खातेदारी खसरा नम्बर 111, 112 व 113 कुल किता 3 कुल रकबा 6.4110 हैक्टेयर भूमि स्थित चली आ रही है। इस भूमि के उपयोग व उपभोग व भूमि पर काश्त करने में अप्रार्थीगण किसी तरह से बाधा न तो स्वंय उत्पन्न करे और ना ही अपने एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि या दीगर व्यक्ति से करवाये। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित विवादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग का रहन, बैचान आदि नहीं करे एवं दौराने दावा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत् बनाये रखे।

प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का सत्यापन भी किया और प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

न्यायालय द्वारा दिनांक 27.08.2020 को प्रार्थीया के विद्धान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनकर अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी 20.09.2020 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 111, 112 व 113 कुल किता 3 कुल रकबा 6.4110 हैक्टेयर स्थित ग्राम अभयपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस करने के आदेश पारित किये गये। डिस्पेच नम्बर 1314-19 दिनांक 09.09.2020 द्वारा नोटिस जारी किये गये। आगामी नियत पेशियो पर साबिक आदेश को प्रभावी रखा गया। दिनांक 19.04.22 को अप्रार्थी संख्या 1 ने मूल वाद में प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पेश किया गया जो आदेश दिनांक 20.12.2022 पारित कर खारिज किया गया। तत्पश्चात पत्रावली अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब व शेष अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 की तलबी इन्तजार

30/5/25

में नियत होती रही। दिनांक 30.07.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए इस आशय का कथन किया कि प्रार्थीया ने उनवानी वाद पत्र झूंठे व मनगढन्त आधार पर प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीया को सफलता की कोई उम्मीद नहीं है। राजस्व रिकार्ड एवं जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार स्वीकार है। वास्तविकता में वादग्रस्त भूमिके मूल खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता स्व0 देवीसिंह व प्रार्थीया के दादा स्व0 देवीसिंह के पिता थे एवं उनकी मृत्यु काफी वर्षो पूर्व हो गई थी एवं उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के पिता स्व0 देवीसिंह व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को धारा 6 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानो के तहत प्राप्त हुई थी एवं उक्त वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/4-1/4 बनता है। स्व0 देवीसिंह की मृत्यु हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में संशोधन दिनांक 09.09.2005 को होने से पूर्व ही हो गई थी एवं वादग्रस्त भूमि का विभाजन अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 व इनके पिता देवीसिंह के मध्य आपसी सहमति व मनबंट से हो गया था। इस कारण प्रार्थीया के उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में कानूनन कोई हक एवं अधिकार निहित नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित सजरा खानदान स्वीकार है।

प्रार्थीया के दादा स्व0 देवीसिह की मृत्यु दिनांक 09.06.2005 को हो चुकी है एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में संशोधन दिनांक 09.09.2005 को होने से पूर्व ही प्रार्थीया के दादा देवीसिंह की मृत्यु हो गई थी। कानूनन धारा 6 में हुए संशोधन का प्रभाव भूतलक्षी प्रभाव है। न कि पश्चातवर्ती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार निहित नहीं है।

वादग्रस्त भूमि में देवीसिंह के सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम तस्दीक हो चुका है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में संशोधन दिनांक 09.09.2005 के अनुसार प्रार्थीया का वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने के उद्धेश्य से प्रस्तुत किया है।

अप्रार्थी संख्या 1 स्वस्थ चित्त व्यक्ति है। प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि को जबरन उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से हड़प कर दीगर व्यक्तियो को बेचान करना चाहती है जिसका कि प्रार्थीया को किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है।

वादग्रस्त भूमि स्व0 देवीसिंह की मृत्यु के पश्चात इनके विधिक वारिस अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर चली आ रही है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 अपने पिता स्व0 देवीसिंह के जीवनकाल से ही अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर निरन्तर रूप से कृषि करते चले आ रहे है। प्रार्थीया का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथा कानूनन हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में किये गये संशोधन दिनांक 09.09.2005 के अनुसार प्रार्थीया का वादग्रस्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई

30/5/25

हक एवं अधिकार नहीं है तथा ना ही प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि की खातेदार घोषित करवाने की अधिकारिणी है।

दिनांक 01.08.2020 को किसी प्रकार का कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की हिस्से की भूमि को गैर कानूनी तरीके से हथियाना चाहती है। प्रार्थीया ने झूंठे व मनगढन्त तथ्य दर्ज किये है जो कि निराधार है। यदि प्रार्थीया अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में सम्भव नहीं होगी।

प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीया ने झूंठे व मनगढन्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिये सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। कानूनन हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में संशोधन दिनांक 09.09.2005 को होने से पूर्व ही प्रार्थीया के दादा देवीसिंह की मृत्यु हो गई थी। कानूनन धारा 6 में हुए संशोधन का प्रभाव भूतलक्षी प्रभाव है, न कि पश्चातवर्ती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार निहित नहीं है।

अतिरिक्त कथन में उक्त तथ्यो की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि प्रार्थीया मृतक खातेदार स्व0 गोपाल कंवर बेवा स्व0 देवीसिंह की प्रथम श्रेणी की वारिसान नहीं है। इस कारण प्रार्थीया का वाद धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानो से बाधित होने के कारण खारिज किय`जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर लेकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाने की कृपा करे।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र का सत्यापन किया तथा जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया।

दिनांक 11.11.2024 को चूँकि अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 के विरूद्ध मूलवाद में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है, अतः उक्त प्रार्थना पत्र में भी इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 16.01.2025 को चूँकि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की मूलवाद में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है इसलिये अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र में भी एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये।

उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मजबूत प्रकरण, तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु साबित है इसलिये अप्रार्थीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

30/5/25

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु साबित नहीं है बल्कि उक्त सभी बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है, इत्यादि तर्को के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा विधि के तीन प्रमुख घटक 1–प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, 2–तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन एवं 3–अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओ पर विवेचन, विश्लेषण किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

प्रथम दृष्ट्या प्रकरण– प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि को अपने पितामह (दादा) की सम्पत्ति होना कथन किया है तथा अपने दादा स्व0 देवीसिंह का सजरा खानदान दर्ज करते हुए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत विवादित भूमि में अपना हक–हिस्सा व अधिकार निहित होना कथन किया है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया के दादा स्व0 देवीसिंह के सजरा खानदान को सही होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की पुश्तैनी व पैतृक सम्पत्ति होना प्रथम दृष्ट्या साबित है। कानूनन पैतृक व पुश्तैनी सम्पत्ति पर कानूनी कब्जा मृतक खातेदार देवीसिंह व स्व0 गोपाल कंवर पत्नि स्व0 देवीसिंह के वारिसान समान रूप से होने की विधिक एवं न्यायिक मंशा है। जहाँ तक प्रश्न हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 के तहत प्रार्थीया का विवादित भूमि में हक व अधिकार बनता है अथवा नहीं। इस तथ्य का निस्तारण मूल वाद में तनकी कायम की जाकर ही किया जाना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण साबित है।

तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति– पक्षकारान् की स्वीकृत स्थिति के अनुसार विवादित भूमि पुश्तैनी व पैतृक है और प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस साबित है। अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने में ही तुलनात्मक सुविधा का सन्तुलन निहित है। अप्रार्थीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने पर वाद बाहुलता होने एवं प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति कारित होना सम्भावित है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित है।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वांछित निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव प्राथीया का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में पारित अन्तरिम व्यादेश दिनांक 27.08.2020 को कन्फर्म किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम अभयपुरा, पटवार हल्का पालावाला जाटान, भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र सांभरिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर की सरहद में स्थित आराजी खसरा नम्बर 111, 112 व 113 कुल किता 3 कुल रकबा 6.4110 हैक्टेयर में प्रार्थीया के उपयोग व उपभोग व भूमि पर काश्त करने में अप्रार्थीगण किसी तरह से बाधा न तो स्वंय उत्पन्न करे और ना

30/12/21

ही अपने एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि या दीगर व्यक्ति से करवाये। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित विवादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग का रहन, बैचान आदि नहीं करे एवं दौराने दावा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत् बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर